न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
21 / 2023	29.05.2023	15/3/24

36

1. प्रतापसिह पुत्र हरिसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. गायडसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. छनदनसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. देवीसिह पुत्र भंवरसिंह
6. नखतसिंह पुत्र सबलसिंह
7. पुखराजसिह पुत्र पुनमसिंह
8. बाबुसिह पुत्र इन्द्रासिंह
9. भैरुसिह पुत्र भंवरसिंह
10. भवानीसिंह पुत्र पुनमसिंह
11. मेहनसिंह पुत्र हरिसिंह
12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पुनमसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण मंगलसिंहनगर खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (ग्रामीण) (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर
2. मूलसिंह पुत्र हरिसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र हरिसिंह

जाति राजपूत निवासीगण मंगलसिंहनगर खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

अधिनियम वास्ते पत्थर गड्डी एंव सीमांकन बाबत्

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयनाथ उपस्थित।
अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण के सक्षिप्त तय इस प्रकार है कि प्राथीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मंगलसिंहनगर पटवार हल्का खिरजा खांस भू.अ.[illegible] तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 1110 रकबा 6.5397 हैक्टेयर किस्म [illegible] तृतीय [illegible] खसरा नम्बर 1113 रकबा 1.4002 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय की अन्य खसरान के साथ [illegible] की भूमि की खातेदारी प्राथीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
शेरगढ

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये । अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया । अप्रार्थी सख्या 2 व 3 को नोटिस जारी किये गये तथा उपस्थिति बाबत अवसर दियें गये । अप्रार्थी सख्या 2 व 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं राज पैरोकार की बहस सुनी गई । बहस पर मनन करने एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अतः ग्राम मंगलसिंहनगर पटवार हल्का खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित भूमि खेत खसरा नम्बर 1110,1113 में तहसीलदार शेरगढ को 500/– के शुल्क पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है आवश्यकता होने पर तहसीलदार शेरगढ पुलिस इम्दाद प्राप्त कर सकते है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

श्री भागीरथराम
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

उप खण्ड अधिकारी
शेरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:20 IST
Reason: SelfAttested

अपने-अपने हिस्से में आने वाली पर काबिज काश्त है। एंव कृषि करते आ रहे है जिसकी जमाबंदी खेवट खतोनी संख्या नई पर दर्ज है उक्त खसरान की भूमि नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम की हुई है।

उपरोक्त खसरान की भूमि पैमाईश बाबत् प्राथी द्वारा तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष दिनांक 14.03.2023 को ऑनलाईन आवेदन करने पर हल्का पटवारी खिरजा खास को मौके पर जाकर प्राथीगण के खसरा नम्बर 1110 एंव 1113 के पड़ौसि खातेदारो के खेत की चारो दिशाओं की तरफ तक प्राथीगण के विवादित खसरा नम्बर 1110, 1113 की पैमाईश करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.03.2023 को तहसील कार्यालय के आदेश कमांक– भू.अ. / 2023 / 146 दिनांक 26.04.2023 की पालना मे प्राथीगण के खेत खसरा नम्बर 1110,1113 की पैमाईश की जाकर दोनों पक्षो की मौजूदगी में मौका फर्द तैयार कर श्रीमान तहसीलदार के कार्यालय में पेश की गई। मौके पर दोनों पक्षो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खसरान की भूमि के मौके पर पैमाईश करते समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जावें।

उक्त खसरा नम्बर 1110,1113 की भूमि के प्राथीगण तन्हा अर्थात एक मात्र खातेदार है जो अपने उक्त खसरान की भूमि का सुधार व विकास कराना चाहते है इसलिये नक्शा ट्रेस में सीमाकन अनुसार अपने उक्त खेत खसरान की भूमि पर पत्थर गड्डी करवाना चाहते है इसलिये प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान के समक्ष मौजूद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चूकि उक्त खसरा नम्बर 1110 व 1113 की भूमि प्राथीगण की स्वंय की खातेदारी व कब्जा काश्त की जिस नक्शा ट्रेस में मार्किग की हुई है केवल मात्र पत्थर गड्डी किया जाना शेष है प्राथीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि का विकास एंव सुधार कार्य कराना चाहते है इसलिये उनकी उक्त खसरान की भूमि की ट्रैस नक्शा की मार्किंग अनुसार एक मौका फर्द अनुसार पत्थर गड्डी कराना आवश्यक हो गया है। यदि प्राथीगण की खसरा नम्बर 1110,1113 की भूमि की पत्थर गड्डी की जाती हैं तो उससे अन्य किसी प्रकार का नुकासन या क्षर्ति होने का प्रश्न ही पैदा होता है लेकिन फिर भी मौके पर पडौसी खातेदार की दखलअन्दाजी करने की स्थिति में जरिये पुलिस इमदाद उपलब्ध कराई जाकर पत्थर गड्डी करने का आदेश दिया जाना उचित है।

उक्त खसरान की भूमि ग्राम मंगलसिंहनगर पटवार हल्का खिरजा खांस भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित होने से न्यायालय श्री के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थीगण की यह याचिका सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

मौजूदा याचिका प्रस्तुत करने का बिनाय कारण प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यो एव तारीखो के आधार पर बमुकाम मंगलसिंहनगर खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर मे पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम मगलसिंहनगर पटवार हल्का खिरजा खांस तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में स्थित भूमि खेत खसरा नम्बर 1110,1113 की खातेदारी कृषि नक्शा ट्रैस में सीमांकन अनुसार पत्थर गड्डी जरिये पुलिस इमदाद के कराये जाने के आदेश फरमावें।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:20 IST
Reason: SelfAttested